दूरभाष/Telephone: 0484-2390404 Fax:0484-2390608 e-mail- cexcochi@nic.in

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय/MINISTRY OF FINANCE,राजस्व विभाग/DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE,CUSTOMS & SERVICE TAX

कोचिन आयुक्तालय COCHIN COMMISSIONERATE

केन्द्रीय राजस्व भवन C.R.BUILDING, आई.एस.प्रेस रोड I.S.PRESS ROAD: कोचिन COCHIN-18

सी.सं./C.No.IV/16/05/2015-RTI तारीख/ Dated:09.07.2015

व्यापार सूचना /TRADE NOTICE NO: 03 /2015

विषय :सूचना अधिकार अधिनियम, 2005- प्रथम अपील अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित.

Sub:- Right to Information Act, 2005-Appointment of 1st Appellate Authority & CPIO - Reg.

. . . . . .

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता इसके साथ सूचित किया जाता है कि श्री वै.सी.एस. स्वामी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपर आयुक्त को श्री एम. राजन, संयुक्त आयुक्त के स्थान पर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में नमोद्दिष्ट किया गया है एवं श्री एब्रहाम रेन्न एस., सहायक आयुक्त, मुवाट्टुपुया मंडल को श्रीमती राजेस्वरी आर. नायर, उप आयुक्त के स्थान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुवाट्टुपुया मंडल में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that Shri.Y.C.S. Swamy, Additional Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax in place of Shri.M. Rajan, Joint Commissioner has been designated as First Appellate Authority and, Shri.Abraham Renn S., Assistant Commissioner, Muvattupuzha Division in place of Smt. Rajeswari R. Nair, Deputy Commissioner has been designated as Central Public Information Officer (CPIO) in the Central Excise, Customs & Service Tax, Muvattupuzha Division for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005.

क्र.सं./ Sl.No.	नाम व पदनाम/Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction		सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CPIO
			क्षेत्र/Area	
1	श्री वै.सी.एस. स्वामी, अपर आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी/ Shri.Y.C.S. Swamy, Additional Commissioner & 1st Appellate Authority	कोचिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय / Cochin Central Excise Commissionerate	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध -I में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोचिन-682018/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email:cexcochi@excise.nic.in

2	श्री एब्रहाम रेन्न एस., सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सी.पी.आई.ओ./ Sri.Abraham Renn S., Assistant Commissioner & CPIO	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुवाट्टुपुया मंडल /Central Excise, Customs & Service Tax, Muvattupuzha Division.	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध -II में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure II of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुवाट्टुपुया मंडल / **Central Excise, Customs & Service Tax, Muvattupuzha Division, K.P.C. Towers, T.B.Junction, Muvattupuzha Pin-686 661.** **Phone: 0485-2832049.** **Fax: 0485-2836995.** **Email: cex1510@yahoo.co.in**

Reshma Lakhani 9/3/15

(रेश्मा लखानी/RESHMA LAKHANI)

आयुक्त/COMMISSIONER

प्रति/Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As per Distribution List No.I, II & III.

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
   The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.
2. निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी -ब्लॉक, आई पी एसटेट,नई दिल्ली
   The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल सम्राट, नई दिल्ली
   The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन
   The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कैलिकट एवं ट्रिवेनड्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार क
   और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें
   The Commissioner, Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wid
   publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC et
   also
6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन
   The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
7. आयुक्त (अपील),कोचिन
   The Commissioner (Appeals), Cochin.
8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त
   All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates
9. सूचना पट्ट/Notice Board.